

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 1] दिल्ली, जनवरी 10—जनवरी 16, 2014, बृहस्पतिवार/पौष 20—पौष 26, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 217
 No. 1] DELHI, JANUARY 10—JANUARY 16, 2014, THURSDAY/PAUSHA 20—PAUSHA 26, 1935 | N.C.T.D. No. 217

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
 GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

संशोधन

दिल्ली, 10 जनवरी, 2014

सं. फा. 8 (348)/ई.ए./पर्या.09/मा.-2/8091.—दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या यू.11030/जे./91/यूटीएल के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली में भूमिगत जल विनियमन तथा प्रबंधन के लिए दिनांक 18 मई, 2010 के आदेशों में उल्लिखित निदेशों में पुनः संशोधन करने के लिये इसके द्वारा निम्नलिखित निदेश जारी करते हैं, जो दिनांक 12 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या फा. 8 (348)/ई.ए./पर्या.09/2246 के अनुसार दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं और दिनांक 25 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या फा. 8(348)/ई.ए./पर्या.09/पी.टी.।।/0771 के अनुसार संशोधित की गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं, अर्थात् :-

क. दिनांक 18 मई, 2010 को प्रकाशित दिल्ली राजपत्र अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई, 2010 के आदेश संख्या फा. 8 (348)/ई.ए./पर्या.09/2246 में निदेश 12 के बाद निम्नलिखित निदेश सन्निविष्ट किए जाएंगे।

“(13) दिल्ली में जल आपूर्ति करने के लिए सभी जल आपूर्ति टैंकों का सक्षम प्राधिकारी अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा पंजीकरण होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जल आपूर्ति टैंकों में अनिवार्य रूप से जी.पी.एस. लगा हो ताकि दिल्ली में चल रहे जल आपूर्ति टैंकों पर निगरानी हो सके। इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी, जल आपूर्ति टैंकों द्वारा पानी की आपूर्ति पर नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता पर आई.एस.: 10500:2012 के अनुसार पीने के पानी के मानकों की निगरानी रखेंगे। सक्षम प्राधिकारी, जल आपूर्ति कर रहे टैंकों के मालिकों द्वारा पानी के विक्रय करने के लिए जल आपूर्ति प्रभार विनिर्दिष्ट करेंगे।

(14) सभी ड्रिलिंग मशीन/रिग्स, जो दिल्ली में बोरिंग के उपयोग में आती हैं, उनका पंजीकरण मण्डल आयुक्त कार्यालय/उप-आयुक्त (राजस्व) के कार्यालय द्वारा अनिवार्य होगा। संबंधित उपायुक्त (राजस्व) द्वारा ड्रिलिंग मशीन/रिग्स के आवागमन की अनुमति विनिर्दिष्ट उद्देश्यों/स्थानों तथा समय के लिये दी जायेगी।

(15) उप-आयुक्त (राजस्व), दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार उक्त निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करेगी और दिल्ली में जल आपूर्ति के लिए जल आपूर्ति टैंकों एवं ड्रिलिंग मशीनों/रिग्स का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य पंजीकरण न कराने वाले तथा इनका अनाधिकृत आवागमन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।”

ख. पूर्वोक्त अधिसूचना में निर्देश संख्या 13 को निर्देश संख्या 16 के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

देवेन्द्र शर्मा, उप-सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

AMENDMENT

Delhi, the 10th January, 2014

No. F.8(348)/EA/Env/09/Pt-II/8091 - In exercise of powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with the notification No. U-11030/J/91- UTL dated the 10th September 1992, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby issues following directions to further amend the directions contained in order dated the 18th May, 2010 for groundwater regulation and management in Delhi published in Delhi Gazette vide Notification No. F8(348)/EA/Env/09/2246 dated 12th July 2010 and amended vide Notification No. F8(348)/EA/Env/09/Pt. II/0771 dated 25th November, 2010, as under, namely:—

A. In the Order No. F. 8(348)/EA/Env/09/2246 dated 12th July, 2010, published vide Delhi Gazette notification dated the 18th May, 2010, after direction No (12), the following directions shall be inserted, namely:—

“(13). All water supply tankers supplying water in Delhi to have mandatory registration with the Competent Authority i.e. Delhi Jal Board/ New Delhi Municipal Council, as the case may be. The Competent Authority shall also ensure mandatory installation of GPS in all tankers enabling monitoring their movement in Delhi. Further, the Competent Authority shall regularly monitor quality of water supplied through tankers, as per drinking water standards IS: 10500:2012. The Competent Authority shall also specify water supply charges for sale of water by the tanker owners.

(14) All the drilling machines/ rigs utilized for boring purposes in Delhi shall have mandatory registration with the Office of Divisional Commissioner/Deputy Commissioner (Revenue). The movement of drilling machines/rigs shall be allowed for specified purposes/place(s) and duration by the concerned Deputy Commissioner (Revenue).

(15) Deputy Commissioner (Revenue), Delhi Police and Transport Department, GNCT to ensure strict compliance and initiate action against the violators not having mandatory registration of water supply tankers and drilling machines/rigs and their unauthorized movement in Delhi.”

B. In the aforesaid notification, the direction no. (13) shall be renumbered as direction no. (16).

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

DEVENDRA SHARMA, Dy. Secy.

गृह (सामान्य) विभाग**अधिसूचना**

दिल्ली, 10 जनवरी, 2014

सं. फा. 4/5/2003/गृह(सामान्य)/205.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या यू0 11011/2/74-यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संयुक्त पंजीयक श्री गुरमीत सिंह को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसी कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेशों तथा उनके नाम पर,

इंदु सिन्हा, उप-सचिव (गृह)

HOME (GENERAL) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 10th January, 2014

No. F. 4/5/2003-Home(G)/205.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to delegate the powers of Executive Magistrate in the Metropolitan area of Delhi upon Shri Gurmit Singh, Joint Registrar, Central Administrative Tribunal, New Delhi, till he holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

INDU SINHA, Dy. Secy. (Home)